defence also. But the provision which has been made in the last Budget is very meagre. If that were the money sanctioned for the Bogibeel project, it will take more than 25 years to complete the bridge. So, I would like to specifically know from the hon. Minister when they are going to allot the Budget for completion of the Bogibeel project. This is number one. Number two; when these two lines—the Lumding-Badapur line and the Rongia-Murkongchelek line—are going to be converted into broad-gauge lines. These two things I would like to know from the Minister categorically.

श्री नारनभाई रठवा: सर, जैसा मैंने बताया कि 2006-2007 के दौरान इस बोघीबिल रेल सड़क पुल योजना के लिए हमने 230 करोड़ रुपए बजट में आबंटित किए हैं।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा: लेकिन रिलीज नहीं हुआ है।

श्री नारनभाई रठवा: उसका कामकाज अभी चालू है। उसके साथ-साथ लमडिंग-बदरपुर गेज कन्वर्जन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसमें लमडिंग-बदरपुर-सिल्चर जो परियोजना है उसका कामकाज अभी प्रगति पर है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि उसमें जो टोटल काम अभी चल रहा है, अगर पैरावाइज देख जाए तो लैंड एक्विजिशन का काम 444 हेक्टेयर का था, उसमें से हम लोगों ने 421 हेक्टेयर कर लिया है। मैं सोचता हूं कि वह काम 94 परसेंट हो गया है और अर्थ सड़क का जो काम है...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह सारा इनको बतला देना, अब डिटेल में कहां जाएंगे।

*403. [The questioner (SHRI VIJAY J. DARDA) was absent. For answer *vide* page 39]

Closing down of snack trolleys

*404. SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) is closing down all snack trolleys so far being run by the commission vendors;

(b) whether it is also a fact that henceforth tea and snacks would be served from food plazas only in stations like Delhi and New Delhi; and

(c) whether IRCTC would ensure that tea and snacks to the daily commuters and poor people will be served by the food plazas at the same rate of commission vendors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI NARAN BHAI RATHWA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) and (c) No, Sir. A large number of conventional tea stalls, light refreshment/refreshment rooms etc. are available from Indian Railways, which are more than 10,500 in number which ensure supply of tea/coffee, breakfast, standard meals at rates approved by the Ministry of Railways to cater the needs of daily commuters and poor people. Food plazas are established to give choice to the passengers and at present only 37 food plazas are operational on Indian Railways.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, we all know that the prominent number of railway passengers, users, are from the lower middle class and poor families. Now, it is understood that the Railways has framed a new Catering Policy, 2005. It has been framed on highly commercialised terms on the basis of highest bidders. Like, Sir, in Delhi and New Delhi Stations, the eligibility criterion for different types of units has been fixed. As for single outlet fast food centres, the turnover should be one crore per annum; for multi-outlets fast food centres, the turnover should be three crores per annum; the earnest money is three lakhs, and so on and so forth. So, I want to know from the hon. Minister whether the Railways has framed such a new Catering Policy which will hit the common people and the poor people among the users.

श्री नारनभाई रठवा: सर, भारतीय रेल पर अनेक परम्परागत चाय स्टॉल, हल्का नाश्ता, अल्पाहार आदि उपलब्ध कराने के लिए 10,500 यूनिट चल रही हैं। इसके अलावा फूड प्लाजा की स्थापना हम लोगों ने यात्रियों को विकल्प मुहैया कराने के लिए की है और रेलवे अभी तक 37 फूड प्लाजा चला रही है।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, my question has not been replied to the extent I expected.

MR. CHAIRMAN: Then you put another supplementary. You put another supplementary so that you can get the reply.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the Standing Committee on Railways, on 30th August, 2005, taking all this scenario into consideration, recommended as follows:

"Earlier catering on Railways was based on the principle of no profit no loss; but in the new Catering Policy, the dominant theme is to commercialise it, privatise it. Profit motive is apparent on the face of it; licence fee has been hiked; tendering and bidding system has been introduced."

Taking all this into consideration, the Standing Committee on Railways has requested the Ministry to reconsider again the entire thing. The Committee, therefore, recommended that the whole system of catering, including the Catering Policy, 2005 should be reviewed. I want to know from the hon. Minister what action he proposes to take on the recommendation of the Standing Committee on Railways.

श्री नारनभाई रठवा: सर, जो हमारी रेलवे केटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन है, यह पूरे खान-पान की व्यवस्था को देखती है। उसके नेतृत्व में यह काम होता है, इसके लिए लाससेंस फीस कितनी रखनी है, क्या रखनी है, यह रेलवे की पॉलिसी के अनुसार उसका पूरा फिक्सिंग करती है। उसी के हिसाब से वेंडर्स और कमीशन वेंडर्स तथा फूड प्लाजा के बारे में क्या फीस रखनी है, इसको वह तय करती है और उसके हिसाब से ही यह नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। उसके अनुसार हर पैसेंजर को फैसेलिटी देने का काम फूड प्लाजा की सहायता से, कमीशन वेंडर्स इत्यादि की सहायता से केटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन कर रही है।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, the snack trolleys are provided for the convenience of the people at large. If they are stopped, it will cause inconvenience to the people, to the travellers. Considering this point, can the Government direct the Catering and Tourism Corporation to change the new Policy which they wish to adopt. I would like to know whether the hon. Minister is able to throw some light on this issue.

श्री नारनभाई रठवा: सर, रेलवे केटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन ने रेलवे में जो भी पैसेंजर्स ट्रेवलिंग करते हैं, उनके लिए खान-पान का पूरा सिस्टम बनाया है। उसी सिस्टम के हिसाब से कमीशन वेंडर्स और फूड प्लाजा तथा बजट होटल्स लाने का भी इंतजाम किया है। जैसाकि माननीय रेल मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान बताया था कि 50 फूड प्लाजा खोलने का काम किया जायेगा और उनके लोकेशन्स भी तय करने के लिए बोला था, तो उसी हिसाब से 50 फूड प्लाजा में से 37 फूड प्लाजा स्थापित किये हैं और 40 बजट होटल्स चलाने के लिए लोकेशन्स तय की गई हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह बार-बार फूड प्लाजा का उल्लेख कर रहे हैं। उस फूड प्लाजा में बर्गर्स, पीजा और कुछ सेंडविच ही मिलते हैं, किन्तु जो साधारण लोग हैं, जिनके लिए स्टेशन पर आलू-पूड़ी की उपलब्धता थी या दाल और रोटी की उपलब्धता थी, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सवाल साधारण पैसेंजर्स का है,

जो अन-रिजर्व्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं या दूसरे क्लास में ट्रेवल करते हैं, वे न बर्गर्स खा सकते हैं, ना ही वे पीजा खाने के आदी हैं और न ही वे सैंडविच खा सकते हैं। उनके लिए आपके ये फूड प्लाजा क्या सप्लाई करेंगे? उनके साथ में जो पेय पदार्थ पेप्सी-कोला या कोका-कोला दिया जाता है, उसकी जगह पर क्या उनको गर्म चाय की उपलब्धता होगी या नहीं होगी?

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप लस्सी पीजिए...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: कहां लस्सी मिलती है? आप बताइये।...(**व्यवधान**)...मट्ठा कहां मिलता है? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती वृंदा कारत: एक कप चाय के लिए दस रुपए देने पड़ते हैं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: चाय की कीमत दस रुपए है।

श्री नारनभाई रठवा: सर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि रेलवे केटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन ने हमारे रेलवे के अंदर 10,500 यूनिट गरीब पैसेंजर्स के लिए चलाए हैं। उसके साथ-साथ केटॅगरि-वाइज, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी के अंदर एसी-फर्स्ट, एसी-सेकेंड और एसी-थ्री टायर है। इसी प्रकार स्लीपर क्लास में पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। इस प्रकार गरीब और अमीर, दोनों को ध्यान में रखा जाता है। फूड प्लाजा और ट्राली सिस्टम...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: फूड का कैटगराइजेशन करिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नारनभाई रठवा: ट्रॉली सिस्टम जो चलता है, यह पूरा आईआरसीटीसी भारतीय रेल की पॉलिसी के अनुसार तय करती है। गरीब लोगों के लिए जो भी हमारा स्टॉल चलता है, ट्राली चलती है, चाय-नाश्ते की यूनिट चलती है, उसकी प्राइस भारतीय रेल/आईआरसीटीसी तय करती है, वैसे आम आदमी को सस्ते दाम पर खाने-पीने का सामान मिले, यह सर्विस देने का काम किया जा रहा है। फूड प्लाजा जिसको जाना है, जो अमीर लोग हैं, जो एसी-फर्स्ट, एसी-सेकेंड में ट्रेवल करते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, उनकी सर्विस के लिए दिया गया है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैंने देखा है कि शताब्दी एक्सप्रेस में एसी-फर्स्ट क्लास में जो खाना दिया जाता है और एसी-टू टायर या एसी-थ्री टायर में जो खाना दिया जाता है, उसमें फर्क होता है। क्या इस चीज को आप सुनिश्चित करेंगे कि एक सी ही केटरिंग हो जिससे उन लोगों को, जो अभी बात कही गयी है कि बराबर का मिलना चाहिए, वह मिले? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए प्राइसिज में फर्क होगा?

श्री नारनभाई रठवा: महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर ट्रेन के अंदर, चाहे वह शताब्दी है या राजधानी है, केटरिंग की पॉलिसी के हिसाब से क्या मेन्यू रखना है, उसे वे तय करते हैं। उसी हिसाब से शताब्दी एक्सप्रेस में भी फूड क्वालिटी खराब नहीं होती है। फिर भी अगर ऐसी कोई कम्पलेंट है तो वह हमें दी जाए, हम लोग जरूर उसकी जांच करवाएंगे।

श्री नंदी येल्लैया: माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ट्रेन में सफर करने वाला जो कॉमन मेन है, मिसाल के तौर पर राजधानी है, उसमें बढ़िया खाना मिलता है, हरेक को मिलता है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हजारों-लाखों लोग रेल के अंदर कॉमन मेन सफर करते हैं। ऐसा घटिया खाना खाने के बाद कहीं फूड प्वॉइजनिंग हो रही है, कहीं चाय नहीं मिलती है। रेलवे का इतना बड़ा सेपरेट बजट है। इन यात्रियों की सुविधाओं को देखने के लिए आप कह रहे हैं कि कमेटी बनी है। आप बताइए कि कौन सी कमेटी बनी है? उनके लिए खान-पान की व्यवस्था के संबंध में बहुत लापरवाही हो रही है। हमने रेल बजट में भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आइंदा भी बोलेंगे। इस संबंध में आपका क्या सुझाव है?

श्री सभापति: सुझाव आप दे दीजिए, उस पर ये विचार कर लेंगे। श्री शाहिद सिद्दिकी।

श्री नंदी येल्लैया: सर, क्या हुआ? हो गया। इतनी मेहनत करके हमने क्वेश्चन पूछा है और उसका जवाब नहीं आए, वह अन्याय है, इनजस्टिस है।

श्री सभापति: आप सुझाव दीजिए, उस पर ये गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री नंदी येल्लैया: मैंने न लिखकर भेजा, न कागज है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप लिखकर दे दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: मैं जुबानी बोल रहा हूं।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, माननीय सदस्य हैदराबाद के रहने वाले हैं इसलिए सुझाव शब्द बोल दिया, किन्तु उपाय क्या है, वे यह पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी उपाय बता दें, जवाब दे दें।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, रेलवे को आज इतना अधिक मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, रेलवे इसके ऊपर भी थोड़ा खर्च कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो रेलवे स्टेशंस पर केटरिंग करने वाली गाड़िया होती हैं, जहां से सस्ती पूरी, सस्ता खाना मिलता है, अगर आप अपने केटरिंग डिपार्टमेंट से उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम करें और उन्हें कोई नए मॉडर्न गेजेट्स दे दें ताकि कम जगह में अच्छा खाना, सेहतमंद खाना वे बना सकें। अगर आप उन लोगों के लिए इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग का इंतजाम कर दें तो मैं समझता हूं कि उन्हें अच्छा खाना मिल सकेगा। आप उसे थोड़ा सब्सीडाइज कर दें।

†[شری شاہد صدیقی : سر، ریلوے کو آج اتنا ادھک منافع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ریلوے اس کے اوپر بھی تھوڑا خرچ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلوے اسٹیشنوں پر کیٹرنگ کرنے والی گاڑیا ہوتی ہیں، جہاں سے سستی پوری، ستا کھانا ملتا ہے، اگر آپ اپنے کیٹرینگ ڈپارٹمنٹ سے اس کی ٹریننگ کا انتظام کریں اور انہیں کوئی نئے ماڈرن گزیٹس دے دیں تاکہ کم جگہ میں اچھا کھانا، صحت مند کھانا وہ بنا سکیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے لئے اس طرح کی کوئی ٹریننگ کا انتظام کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اچھا کھانا مل سکے گا۔ آپ اسے تھوڑا ابھی ڈائیز کر دیں۔]

Complaints against Pharma Companies

*405. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against the pharma companies for not following the notified prices of the drugs by National Pharmaceutical Pricing Authority (N.P.P.A); and

(b) if so, the names of companies and what action is being taken against them?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per the present Pharma Pricing Policy, the 74 bulk drugs specified in the First Scheduled of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 (DPCO, 95) and the formulations based thereon are under price control and their prices are fixed/revised by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in accordance with the provisions of the DPCO, 95. These drugs have been kept under price control on the basis of criteria mentioned in Modifications in Drug Policy, 1986', announced in September, 1994.

Prices of non-Scheduled formulations are fixed by the manufacturers themselves keeping in view the various factors like cost of production, marketing expenses, R&D expenses, trade commission, market competition, product innovation, product quality etc., NPPA monitors the

† Transliteration in Urdu Script.